

SEIZURES OF FOREIGN BANK CHEQUES

134. SHRIMATI SARLA BHA-DAURIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that foreign bank cheques worth Rs. 14 crores were seized by the C.B.I. from a businessman on the 31st March, 1969 at CHAK Ghat in U.P.-M.P. border;

(b) if so, the name of the businessman including the names of the foreign banks to which the cheques belonged; and

(c) what further action has been taken in the matter?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE

(SHRI MORARJI R. DESAI):

(a) No, Sir. It has been ascertained that no such seizure of foreign bank cheques was made either by the Central Bureau of Investigation or by the local police.

(b) and (c) Do not arise.

राज्यों में बिजली की दरें

135. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के अलग-अलग राज्यों में बिजली की विभिन्न दरें क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में बिजली की दरें भिन्न-भिन्न हैं और यदि हां तो इन दरों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत के बहुत से राज्यों में मांग की तुलना में विद्युत् उत्पादन एवं आपूर्ति बहुत ही कम है और यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†[ELECTRICITY CHARGES IN STATES

135. SHRI J. P. YADAV: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) what are the different rates of electricity charges in various States in India;

(b) whether it is a fact that there are different rates of electricity charges in each State and if so, what measures are being taken to bring uniformity in the rates; and

(c) whether it is also a fact that in a large number of States in India, the production and supply of electricity is much less as compared to the demand and if so, what steps are being taken to make up the deficiency?]

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। [दिखिये परिशिष्ट LXVIII अनुपत्र संख्या 10]।

(ख) जब कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मैसूर, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 9 राज्य बिजली बोर्डों ने सप्लाई के अपने समस्त क्षेत्रों में हर किस्म के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की एक सम दरें लागू की हुई हैं, शेष राज्य टैरिफ में समानता लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

(ग) यह सत्य है कि कुछ राज्य इस समय बिजली की कमी को अनुभव कर रहे हैं इन कमियों को पूरा करने के लिए और भावी मांगों को पूरा करने के लिए, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित करने का और क्षेत्रीय बिजली ग्रिड स्थापित करने का विचार है जिससे कि सहवर्ती राज्यों की राज्य बिजली प्रणालियों का समेकित प्रचालन हो सके।